



इंदिरा गॉधी कृषि विश्वविद्यालय

INDIRA GANDHI KRISHI VISHWAVIDYALAYA

कृषक नगर, रायपुर 492 012 (छत्तीसगढ़)

KRISHAK NAGAR, RAIPUR - 492 012 (C.G.)

Phone 0771-2442537, Fax - 0771- 2443939

Email-registrar-igkv.cg@gov.in, regigkv@gmail.com

क्रमांक/स्था.-04/नस्ती क्र.-150/2020/ 232

रायपुर, दिनांक : 15/05/2020

विज्ञापन

विश्वविद्यालय के अधीन संचालित नवीन महाविद्यालयों में निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम नियुक्ति हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2020 रात्रि 11.59 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) बैकलॉग रिक्तियों हेतु

क्र.	पदनाम	वेतन मेट्रिक्स/लेवल	बैकलॉग हेतु श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या			कुल
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	
01.	प्रयोगशाला तकनीशियन	28700-91300 लेवल-07	0	01	0	01
02.	सहायक वर्ग-तीन	19500-62000 लेवल-04	05	07	0	12

टीप :- छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा।

(ब) सामान्य सीधी भर्ती हेतु

क्र.	पदनाम	वेतन मेट्रिक्स/लेवल	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या				कुल
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	
01.	प्रयोगशाला तकनीशियन	28700-91300 लेवल-07	05	01	03	02	11
02.	प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी-दो	25300-80500 लेवल-06	05	01	04	02	12

टीप :- छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा।

ऑन लाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30.06.2020 रात्रि 11:59 बजे तक

शैक्षणिक अर्हता :-

प्रयोगशाला तकनीशियन, वेतन मेट्रिक्स 28700-91300, लेवल-07

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएस.सी. न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से बीएस.सी. (कृषि/उद्यानिकी/कृषि बायोटेक्नोलॉजी) अथवा बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि

प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी-दो, वेतन मेट्रिक्स 25300-80500, लेवल-06

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :

किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि।

Binan

tute

निरंतर.....(02).....

.....(02).....

सहायक वर्ग- तीन वेतन मेट्रिक्स 19500-62000 लेवल-04

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :

1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र ।
3. हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

नोट:- कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र हेतु मान्यता प्राप्त संस्था :- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 9-4/2005/1/3, दिनांक 23 जनवरी, 2015 के अनुसार सहायक वर्ग-तीन के पदों पर विश्वविद्यालयीन सेवा में नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर संबंधी अर्हता हेतु निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/उपाधि मान्य होंगे :-

1. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट ।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/मार्डन आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)
3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि ।
4. DOEACC सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा ।
5. मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा (Diploma in Computer Application) DCA ।

आयु-सीमा :

ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की आयु 18 (अठारह) वर्ष से कम एवं 35 (पैंतीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी ।

नोट :-

- (1) इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनियम, 2016 के नियम 9 (छ) अनुसार इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट प्राप्त होगी ।
- (2) छत्तीसगढ़ शासन अथवा छत्तीसगढ़ शासन के किसी भी उपक्रम में कार्यरत स्थायी/अस्थायी/संविदा कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जावेगी ।
- (3) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 (चालीस) वर्ष होगी । अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 (पैंतालीस) वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

Bishu

Joda

निरंतर.....(03).....

.....(03).....

विभिन्न पदों हेतु निर्धारित योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.igau.edu.in पर उपलब्ध है । इच्छुक अभ्यर्थी वेबलिंग igkvmis.cg.nic.in के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । वेबलिंग दिनांक **22.05.2020** से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक खुला रहेगा ।

आवेदन शुल्क

क्र.	पदनाम	वर्ग	राशि
01.	प्रयोगशाला तकनीशियन/ प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी-दो/ सहायक वर्ग-तीन	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग	रु. 600/-
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	रु. 300/-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड किया जाना आवश्यक होगा । एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा ।

सामान्य शर्तें :-

1. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन नियम, 2011, 2012 के अनुसार होगा । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होगा चाहिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के लिए समय-समय पर अधिसूचित श्रेणी के अनुसार संबंधित श्रेणी की सूची में शामिल किया गया है ।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र" जो चालू वर्ष का हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने के साथ-साथ दस्तावेज परीक्षण के समय भी प्रस्तुत करना होगा । जिसमें असफल होने पर, अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।
3. संबंधित श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा, अपलोड न करने की स्थिति में उनके आवेदन को अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा । आरक्षित पदों पर नियुक्त आवेदकों को अपने जाति प्रमाण पत्र के बारे में निर्धारित प्रारूप में एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा, यदि उनका प्रमाण पत्र अवैध या फर्जी पाया जाता है, तो उनकी सेवाओं को समाप्त कर दी जाएंगी एवं उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा ।
4. छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा ।
5. निःशक्तजनों हेतु 06 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा ।
6. चयनित पद पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अस्थायी होगी एवं चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा तथा परिवीक्षा अवधि पर कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा ।
7. चयनित अभ्यर्थियों को नवीन कृषि महाविद्यालयों में पदस्थ किया जावेगा एवं परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने से पहले सामान्यतः स्थानांतरित नहीं किया जावेगा । किसी भी प्रकार के अनुरोध, प्रभाव व उपार्थना (कैनवासिंग) पर विचार नहीं किया जावेगा ।





निरंतर.....(04).....

8. चयनित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के अधीन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित किसी भी केन्द्र/इकाई में आवश्यकता होने पर स्थानांतरित/पदस्थ किया जा सकता है ।
9. एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा ।
10. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र, उपाधि, अंकसूची/ट्रांसक्रिप्ट की प्रतियाँ अपलोड नहीं किए गए आवेदन अमान्य कर दिए जाएंगे ।
11. अभ्यर्थियों द्वारा धारित आवश्यक योग्यता एवं अनुभव आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले का, मान्य किया जावेगा ।
12. पूर्व से नियोजित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा। उम्मीदवार इस प्रयोजन के लिए भरे हुए ऑनलाइन फॉर्म का एक प्रिंट ले सकते हैं एवं कुलसचिव, इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर को किसी भी दस्तावेज/फोटोकॉपी/रिप्रिंट को संलग्न किए बिना पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। हालांकि देरी से बचने के लिए, अपेक्षित शुल्क और अन्य दस्तावेजों के साथ एक अग्रिम ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है। कृपया ऑनलाइन फॉर्म में "अग्रिम प्रति" पर उचित रूप से टिक करें। ऐसे आवेदकों को दस्तावेज परीक्षण के समय अपने वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" एवं "कोई जॉब नहीं प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा ।
13. आवेदित पदों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पृथक-पृथक स्कोर कार्ड निर्धारित किया गया है, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in पर उपलब्ध है । अभ्यर्थियों का चयन वरीयता (मेरिट) के आधार पर किया जावेगा । अतएव आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कोर कार्ड के अनुसार सावधानीपूर्वक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरें। उचित प्रमाण-पत्र/अंकसूची/ट्रांसक्रिप्ट/दस्तावेज/छायाप्रति/रिप्रिंट अपलोड किए बिना आवेदन का स्कोर नहीं किया जाएगा। पूर्व से नियोजित अभ्यर्थी को अनुभव के लिए आबंटित अंकों का लाभ लेने के लिए नियोक्ता द्वारा दिए गए अनुभव प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा ।
14. चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा, भर्ती वरीयता (मेरिट) के आधार पर की जावेगी, जो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार होगी ।
15. सहायक वर्ग-तीन के पद हेतु कौशल परीक्षा ली जावेगी । कौशल परीक्षा के अंक जोड़ने के पश्चात् अंतिम वरीयता सूची बनाई जावेगी ।
16. अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज परीक्षण समिति के समक्ष संपूर्ण दस्तावेज जो अपलोड किए गए हैं, की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा।
17. चयनित अभ्यर्थियों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई नवीन अंशदायी पेंशन योजना, जो विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत है, लागू होगी ।
18. उपरोक्त सभी पदों को भरने/न भरने का तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने/घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा तथा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
19. भर्ती की प्रक्रिया इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनियम 2016 में विहित प्रावधान अनुसार की जावेगी ।
20. अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है । (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
21. चयनित अभ्यर्थियों पर विश्वविद्यालय नियम एवं सेवा-शर्तें तथा समय-समय पर उसमें होने वाले संशोधन लागू होंगे ।
22. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया हो जो पूर्व से विवाहित हो और उसकी पत्नी जीवित हो, विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अर्ह नहीं माने जावेंगे ।

Biswan

Jode निर्धार (04).....

23. ऐसा अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अर्ह नहीं माने जावेंगे । यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई उपरोक्त कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो, उसकी नियुक्ति/चयन बिना किसी सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा । साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

अन्य नियम एवं शर्त :-

01. केवल वेबलिक igkvmis.cg.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पर विचार किया जाएगा। अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
02. अभ्यर्थियों को अपने ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर भविष्य में होने वाले जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म में भरना होगा । अभ्यर्थी को केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं उनके ई-मेल के माध्यम से निर्देश/सूचना/बुलावा पत्र इत्यादि दिए जा सकते हैं। सहायक वर्ग-तीन पद के लिए कम्प्यूटर कौशल परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र साधारण डाक के माध्यम से भी भेजे जावेंगे।
03. अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ सभी स्वयं सत्यापित दस्तावेजों, प्रशंसा-पत्र, प्रमाण-पत्र, रिप्रिंट इत्यादि की छायाप्रतियां ऑनलाइन जमा/संलग्न करना आवश्यक है।
04. अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन अपलोड किए गए सभी मूल दस्तावेजों, प्रशंसा-पत्र, रिप्रिंट इत्यादि के साथ-साथ दस्तावेज परीक्षण के समय ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन पत्र की एक हार्ड कॉपी भी लाना आवश्यक है।
05. चयन की प्रक्रिया के बाद किसी भी स्तर पर किसी भी अनजाने में हुई त्रुटि का पता चलने पर, नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी, विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को किए गए किसी भी संचार को संशोधित/वापस लेने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
06. अभ्यर्थियों द्वारा अपने पक्ष में नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करवाने वाली किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष राजनैतिक दबाव/उपार्थना (कैनवासिंग) उसकी उम्मीदवारी को अयोग्य कर सकती है।
07. यदि अभ्यर्थी, फर्जी या गलत जानकारी/दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है या किसी भी जानकारी को छुपाता है, तो अयोग्य घोषित किया जाएगा, और/अथवा यदि नियुक्त किया गया है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से बर्खास्त करने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। गलत प्रमाण-पत्र एवं जानकारी देने पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।
08. सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पेमेंट गेटवे इत्यादि की समस्याओं के कारण किसी भी विलंब के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
09. आवश्यक शुल्क नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड विकल्पों के माध्यम से ऑन लाइन जमा किया जाना है।
10. विश्वविद्यालय द्वारा किसी कार्य दिवसों के दौरान विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्प लाइन नंबर 0771-2442537 की व्यवस्था की है, जो प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे के बीच चालू रहेगी ।
11. यदि चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की सेवा से त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे 03 (तीन) माह पूर्व नोटिस देना होगा । 03 (तीन) पूर्व नोटिस नहीं देनी की स्थिति में उसे 03 (तीन) माह के वेतन भत्तों की राशि एकमुश्त जमा करनी होगी ।





12. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-2/97/3/एक, दिनांक 18.02.1997 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार "यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी आरक्षित प्रवर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में 30 प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित (Carry Forward) नहीं किये जायेंगे और ऐसे रिक्त पद को दूसरे आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग की महिला से भी नहीं भरा जायेगा । ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए वह आरक्षित है ।"
13. सहायक वर्ग-तीन के पदों हेतु मूल्यांकन (स्कोरिंग) के पश्चात् मेरिट अनुसार कौशल परीक्षा हेतु सीमित संख्या में (कुल संवर्गवार पदों का 6-7 गुना) बुलाये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा ।
14. योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in पर अपलोड की जावेगी । योग्य/अयोग्य संबंधी दावा-आपत्ति सूची अपलोड होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर अभ्यर्थी अपना दावा-आपत्ति संबंधी आवेदन ई-मेल regigkv@gmail.com पर अथवा कुलसचिव कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । योग्य/अयोग्य अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in पर अपलोड की जावेगी ।
15. योग्य अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक (स्कोर) को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in पर अपलोड किया जावेगा । किसी अभ्यर्थी का उसे प्राप्त स्कोर के विरुद्ध दावा-आपत्ति भी की जा सकती है जो स्कोरशीट वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर ई-मेल regigkv@gmail.com पर अथवा कुलसचिव कार्यालय में जमा की जा सकती है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । अंतिम स्कोरशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in पर अपलोड की जावेगी ।
16. उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार का शुद्धिपत्र अथवा भविष्य में कोई सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in एवं वेबलिनिक igkvmis.cg.nic.in पर उपलब्ध होगी ।
17. अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फार्म भरने का यह अर्थ होगा कि वह सामान्य शर्तें तथा अन्य नियम एवं शर्तें में उल्लेखित सभी प्रक्रिया एवं शर्तों से सहमत/स्वीकार करता/करती है ।


कुलसचिव
